SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFG Gohad Dist Bhind (M.P.)

	and the second s
Case No2	Complaint or report madeon
Name and ad	dress of the Complainant. Sign (a) Sig
······································	
diagra Flish	Name , parentage, caste and address of accused
	वर्त्य ८/० रामप्रका भारव इम -२५ नि॰ हरीरामुख्या धाना मालनपुर
	in all
	The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
	आप पर आरोप है कि दिनांक 23 10 20 मुकाम हिर्मा कर के अपने प्राप्त बोतल की पर बिना वैध अनुज्ञाप्त के अपने पर बिना वैध अनुज्ञाप्त के अपने ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय किया। किया आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
अपराध रवीकॉर	है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
	गायक विकास का

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub-section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय//

(आज दिनांक 27)। । है को घोषित)

- 01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिंद्येप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराएं जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये उल्ली-शब्दों में पान्न ली क्नप्य रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर सात दिवस का साधारण कारावास की सजा मुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 12 लीटर/पाव/बोतल <u>टल</u>न शराब मूल्यहीन एव मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का

मेरे निर्देशन प्रस्टिकत